# सरकारी अभिलेखों में कथित कूटरचना और फर्जीवाड़े के आरोप

## तहसीलदार, पटवारी सहित तीन के विरुद्ध आपराधिक परिवाद पर न्यायालय ने लिया संज्ञान

**नवभारत/ नरसिंहपुर/ गाडरवारा।** गाडरवारा न्यायालय में राजस्व विभाग से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और सरकारी अभिलेखों में कूटरचना का मामला न्यायिक प्रक्रिया में प्रवेश कर गया है। ग्राम बरहेटा निवासी हिमाचल कौरव द्वारा दायर आपराधिक परिवाद पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गाडरवारा ने प्रारंभिक साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद प्रकरण को यूएनसीआर क्रमांक 190/2026 के रूप में दर्ज कर आरोपित पक्ष को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। परिवाद में तत्कालीन तहसीलदार प्रियंका नेताम, हल्का पटवारी चैतन्य

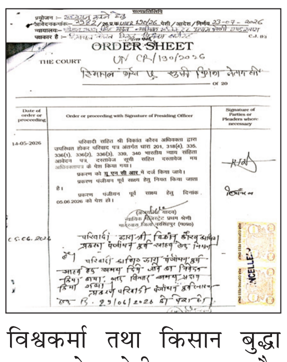
ORDER SHEET

THE COURT

| Date of order or proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|
| 14-05-2026 | | |

विश्वकर्मा तथा किसान बुद्धा चमार को आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम बरहेटा स्थित भूमि के सीमांकन प्रकरण से संबंधित शासकीय राजस्व अभिलेखों में कथित रूप से फेरबदल कर बाद में अतिरिक्त टिप्पणियां जोड़ी गईं, जिससे मूल रिकॉर्ड की प्रकृति बदल गई और एक पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। परिवादी के अनुसार वर्ष 2023 और 2024 में प्राप्त सीमांकन प्रकरण की प्रमाणित प्रतियों की तुलना करने पर कई महत्वपूर्ण अंतर सामने आए। आरोप है कि सीमांकन प्रतिवेदन और पंचनामा में बाद में ऐसी टिप्पणियां जोड़ी गईं, जिनमें यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि संबंधित भूमि पर परिवादी का अवैध कब्जा था, जबकि पहले उपलब्ध प्रमाणित अभिलेखों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था।

### भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपितों के विरुद्ध कार्यवाही

शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि संबंधित राजस्व प्रकरण के शासकीय रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ अधिकारियों की मिलीभगत से की गई। इस संबंध में पुलिस, राजस्व विभाग, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य सक्षम अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली गई। न्यायालयीन आदेश पत्रिका के अनुसार 14 मई 2026 को परिवाद प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद न्यायालय ने प्रारंभिक साक्ष्य के लिए तिथि निर्धारित की। 9 जुलाई 2026 को परिवादी के साक्ष्य दर्ज किए गए और प्रारंभिक साक्ष्य पूर्ण होने के बाद आरोपित पक्ष को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया। 23 जुलाई 2026 के आदेश में नोटिस तामील कराने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। परिवाद में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 201, 318(4), 335, 336(1), 336(2), 336(3), 339 एवं 340 के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपितों के विरुद्ध कार्यवाही और दंड की मांग की गई है।

# मनचाहे तरीके से खुलता है उप डाकघर

**नवभारत/ तेंदूखेड़ा** एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा दूरसंचार डाक तार विभाग को अपडेट करने और विश्वसनीयता वापस लाने की दिशा में तरह तरह के प्रयोग किये जा रहें हैं लेकिन डोभी में संचालित उप डाकघर में व्याप्त अनियमितताओं से क्षेत्र के उपभोक्ताओं में लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं ।ग्रामीणों का आरोप है कि डाकघर में समय पर सेवाएं उपलब्ध नहीं होने से उन्हें बार-बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को उप डाकघर निर्धारित समय से लगभग साढ़े 11 बजे खुला जिससे अपने जरूरी कार्यों के लिए पहुंचे अनेक लोगों को करीब एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि डोभी ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों के लोग भी डाकघर की विभिन्न सेवाओं का लाभ लेने यहां पहुंचते हैं। समय पर कार्यालय नहीं खुलने से लोगों का समय तो बर्बाद होता ही है। साथ ही उन्हें अपने दैनिक कार्य और रोजगार भी प्रभावित करने पड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या बिजली आपूर्ति से जुड़ी बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार बिजली बंद होते ही डाकघर का पूरा कामकाज रुक जाता है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब वे कर्मचारियों से जानकारी लेते हैं तो उन्हें अक्सर सर्वर डाउन है कहकर लौटा दिया जाता है।

### बिजली गुल होते ही सभी सेवाएं ठप हो जाती हैं

उनका आरोप है कि डाकघर में न तो इन्वर्टर की व्यवस्था है और न ही जनरेटर की। बिजली गुल होते ही सभी सेवाएं ठप हो जाती हैं।ग्रामीणों ने मांग की है कि उप डाकघर में निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र इन्वर्टर या वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए तथा कार्यालय का संचालन निर्धारित समय पर किया जाए। साथ ही, उपभोक्ताओं को स्पष्ट एवं संतोषजनक जानकारी देने के निर्देश भी संबंधित कर्मचारियों द्वारा दिए जाएं जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

### एक नजर में

#### जिले में अब तक 364.6 मिमी अर्थात 14.34 इंच वर्षा दर्ज

**नरसिंहपुर।** नरसिंहपुर जिले में एक जून से 30 जुलाई तक की अवधि में औसत रूप से कुल 364.6 मिमी अर्थात 14.34 इंच वर्षा दर्ज की गयी है। 30 जुलाई की सुबह तक बीते 24 घंटे में जिले में औसतन 31.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। इस दिन तहसील नरसिंहपुर में 19 मिमी, गाडरवारा में 79 मिमी, गोटेगांव में 5 मिमी, करेली में 24 मिमी और तेंदूखेड़ा में 31 मिमी वर्षा आंकी गई है। तहसीलदार भू-संसाधन एवं प्रबंधन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 जुलाई तक तहसील नरसिंहपुर में 391 मिमी, गाडरवारा में 449, गोटेगांव में 236 मिमी, करेली में 324 मिमी और तेंदूखेड़ा में 423 मिमी वर्षा आंकी गई है। इसी अवधि में पिछले वर्ष जिले में औसतन 907.60 मिमी अर्थात 35.73 इंच वर्षा हुई थी।

#### नि:शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन कल

**गोटेगांव।** मध्य प्रदेश पेंशनर समाज तहसील शाखा गोटेगांव एवं भारतीय स्टेट बैंक शाखा गोटेगांव के संयुक्त तत्वाधान में नि:शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर कल दिन शनिवार 1 अगस्त को भारतीय स्टेट बैंक शाखा, गोटेगांव में दोपहर 11 बजे से शाम 3 बजे तक आयोजित होगा। शिविर में गोटेगांव तहसील में निवासरत सभी पेंशनरों की आंखों की जांच नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। साथ ही आवश्यक परामर्श भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पेंशनर समाज तहसील शाखा गोटेगांव के अध्यक्ष भगवान दास साहू एवं स्ब्ब्ब शाखा गोटेगांव के शाखा प्रबंधक श्री शिंदे ने सभी पेंशनर साथियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपना पेंशन कार्ड/पहचान पत्र साथ लाकर इस शिविर का लाभ उठाएं।

#### श्री साईं नाथ की पालकी यात्रा निकली

**गोटेगांव।** भगतसिंह वार्ड स्थित श्री साईं मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में अभिषेक, पूजन, अर्चना, आरती बंधन एवं भजन-कीर्तन के कार्यक्रम हुए। इसके पश्चात श्री साईं नाथ महाराज जी की भव्य पालकी यात्रा जागृति नगर से प्रारंभ हुई, जो श्रीधाम हॉस्पिटल के सामने से होते हुए श्री साईं दरबार पहुंची। पालकी यात्रा के पश्चात मंदिर प्रांगण में महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि में भजन संध्या एवं भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। साईं भजनों और जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया।

#### जबलपुर होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन

**जबलपुर।** यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन प्रयागराज और तिरुनेलवेली के बीच विशेष ट्रेन चलाएगा। रेल बोर्ड की मंजूरी के बाद गाड़ी संख्या 04171/04172 प्रयागराज-तिरुनेलवेली-प्रयागराज स्पेशल 1 अगस्त से मध्य प्रदेश के सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी जंक्शन से होकर संचालित की जाएगी। रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 04171 प्रयागराज-तिरुनेलवेली स्पेशल 1 अगस्त से 22 अगस्त तक प्रत्येक शनिवार को कुल चार फेरे लगाएगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 04172 तिरुनेलवेली-प्रयागराज स्पेशल 3 अगस्त से 24 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार को चार ट्रिप संचालित होगी इस स्पेशल ट्रेन में कुल 19 कोच जोड़े गए हैं यह गाड़ी मानिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, नागपुर, बल्लारशाह, वारंगल, विजयवाड़ा, रेनीगुंटा और मदुरै समेत अन्य स्टेशनों से होते हुए गंतव्य तक पहुंचेगी।

# जिला स्तरीय शालेय मलखम्ब प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

**नवभारत/ गाडरवारा।** स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सत्र 2026-27 की जिला स्तरीय शालेय मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय शासकीय पीएमश्री बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा और उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर जिला स्तरीय टीम के लिए प्रतिभागियों का चयन किया गया। आयोजन के दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुज जैन, प्रभारी प्राचार्य श्रीमती पुष्पा बरहैया, के.के. राजोरिया, व्यायाम शिक्षक

विक्रम शर्मा, अजय सोनी, मधुसूदन पटैल, शकुंतला मांझी एवं मनीष कोस्टी सहित अन्य शिक्षक एवं खेल अधिकारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अनिल कुशवाहा के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

# युवा ब्राह्मण प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित

**नवभारत/ तेंदूखेड़ा** विगत दिवस कमलकांत शर्मा के निवास पर ब्राह्मण समाज युवा प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें ब्राह्मण समाज द्वारा अपने इष्टदेव भगवान परशुराम का पूजन अर्चन किया गया। उपस्थित सदस्यों का परिचय उपरांत कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की सदस्य पूर्व विधायक श्रीमती साधना स्थापक अध्यक्षता पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मैथिलीशरण तिवारी द्वारा की गई ।सर्व ब्राह्मण सभा जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद दुबे उपाध्यक्ष नागेंद्र त्रिपाठी द्वारा सभी का पुष्पहारों तिलक लगाकर स्वागत किया गया ।सभी तहसील अध्यक्षों द्वारा अपने विचार रखे ।पंमैथिलीशरण तिवारी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि

वर्तमान समय में युवा इस देश का भविष्य है वर्तमान समय में बिगड़ी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें आत्म चिंतन की आवश्यकता है। वर्तमान में युवा पीढ़ी नशे की तरफ लगातार अग्रसर हो रही है और अपने पुरानी रीति रिवाज परंपराओं को नजर अंदाज करते हुए भटकाव की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बच्चों में अच्छे संस्कारों की जरूरत है ।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती साधना स्थापक ने अपने विचार रखते हुए कहा कि वर्तमान समय युवाओं को शिक्षित और मार्गदर्शित करने का समय है हमारे पूर्वजों द्वारा जिन परंपराओं का निर्वहन किया गया है हमें भी आज उन कार्यों को आगे बढ़ते हुए अपनी समाज को एक दिशा और गति प्रदान करना है।

# श्रद्धा के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व

**नवभारत/ तेंदूखेड़ा।** गुरु शिष्य के बीच आस्था प्रेम समर्पण का पर्व गुरु पूर्णिमा शासकीय विद्यालय डोभी में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ।शुरुआत मां सरस्वती के पूजन अर्चन के साथ हुई ।संस्था में सभी शिक्षकों का बच्चों द्वारा तिलक लगाकर अभिवादन किया गया। गुरु पूर्णिमा पावन पर्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों द्वारा गुरु और शिष्य के संबंध से संबंधित जीत कहानी और कविताएं प्रस्तुत की गई वहीं कुछ छात्रों द्वारा भी अपने अंदाज में अपने गुरु की महिमा का बखान किया गया। गुरु पूर्णिमा महत्व को काफी विस्तार से समझाते हुए बताया कि वैदिक काल से गुरु और शिष्य का यह संबंध निरंतर चला आ रहा है हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का अपना

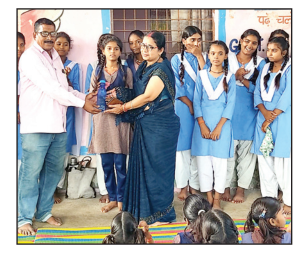

एक अलग स्थान होता है जन्म लेने के बाद मनुष्य की बचपन की प्रथम गुरु उनकी मां हुआ करती हैं ।उसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय का सहारा लेना पड़ता है। सभ्य समाज में निवास करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और वह मार्गदर्शन हमें गुरु ही प्रदान कर सकता है यदि हम जीवन में वास्तविक सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो हमें अपने गुरु के बताए हुए।

# महिला पतंजलि योग समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा पर योग एवं सम्मान समारोह

**नवभारत/ गाडरवारा।** महिला पतंजलि योग समिति गाडरवारा द्वारा जिला प्रभारी सुमन गुप्ता के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विशेष योग सत्र एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तहसील प्रभारी संजू शर्मा, योग शिक्षिका अंजना साहू एवं किरण साहू ने लगभग 50 महिलाओं को सूक्ष्म व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ध्यान एवं शांति पाठ का सामूहिक अभ्यास कराया। इस अवसर पर महिला पतंजलि योग समिति की शशि शर्मा, मंजू खंताल, मंजू शर्मा, कीर्ति श्रीवास्तव, शिखा नीखरा सहित अन्य सदस्यों का सक्रिय सहयोग रहा। योगाभ्यास में रमा आचार्य, कला आचार्य, निधि आचार्य,

किरण जैन, संध्या, सीमा जैन, गरिमा साहू, नीता कठल सहित अनेक महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में योग साधिकाओं ने अपने योग गुरुओं का तिलक लगाकर, श्रीफल एवं कंबल भेंट कर सम्मान किया तथा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में नियमित योगाभ्यास से प्राप्त स्वास्थ्य लाभों के अनुभव भी साझा किए गए। रमा आचार्य ने बताया कि पहले वे जमीन पर बैठ भी नहीं पाती थीं, लेकिन लगभग डेढ़ वर्ष से नियमित योग करने के बाद अब उन्हें काफी राहत मिली है। सीमा जैन ने बताया कि उनके घुटनों का दर्द काफी कम हो गया है और अब वे पहले की अपेक्षा अधिक सहजता से बैठ-उठ पाती हैं। वहीं मुन्नी बाई ने बताया कि लगातार आठ माह तक योग करने से उन्हें साइटिका की समस्या से काफी राहत मिली है।

# आनंद पटेल को फरार होने में सहयोग करने वाला आरोपी गिरफ्तार

**नवभारत/नरसिंहपुर।** दिनांक 19 जुलाई 2026 को थाना सुआतला क्षेत्र अंतर्गत इंद्रानगर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार हाईवा द्वारा सड़क किनारे खड़े 6-7 लोगों को टक्कर मार दी गई थी। इस दर्दनाक घटना में राजेन्द्र पटैल की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि अन्य चार घायलों को उपचार के दौरान मृत घोषित किया गया।

एक अन्य घायल का उपचार जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर डॉ. ऋषिकेश मीना द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा विशेष जांच टीम गठित कर निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक जांच के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम ने लगातार तकनीकी, वैज्ञानिक एवं

परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्रित कर मामले की गहन विवेचना की। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि घटना को सामान्य सड़क दुर्घटना दर्शाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने उत्कृष्ट स्तर की जांच करते हुए हाईवा से कुचलकर की गई हत्या को सड़क दुर्घटना दिखाने की साजिश का पर्दाफाश किया तथा प्रकरण में 11 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। जांच में यह पाया गया कि प्रकरण के मुख्य आरोपी आनंद पटेल ने घटना के पश्चात आरोपी को फरार होने में मुकेश लोधी पिता खीरसागर लोधी, उम्र 40 साल निवासी बुधगांव द्वारा सहयोग प्रदान किया तथा अपना वाहन (थार) उपलब्ध कराया। पुलिस टीम द्वारा उक्त आरोपी आरोपी मुकेश लोधी की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी घेराबंदी कर दबिश दी गई जिसके परिणाम स्वरूप को धारा 105, 103, 109, 249 (क), 61 (2) (क) एवं 23 8 (क) बीएनएस के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाकर विधिवत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

# बगदरा स्कूल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण

**नवभारत/ गाडरवारा।** ग्राम बगदरा की शासकीय माध्यमिक शाला में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अंतर्गत विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के डॉ. नीरज गुप्ता ने छात्र-छात्राओं का विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक परामर्श एवं दवाइयां प्रदान कीं। परीक्षण के दौरान विद्यार्थियों का वजन, ऊंचाई, हृदय की धड़कन, रक्त स्तर (हीमोग्लोबिन), पेट, आंखों, त्वचा सहित अन्य सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। जिन विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पाई गईं, उन्हें आवश्यक दवाइयों का वितरण भी किया गया। स्वास्थ्य जांच के दौरान छात्र लकी साहू (पिता रामनाथ साहू) में

मिर्गी (फिट आने) की समस्या के लक्षण पाए गए। इसके बाद उन्हें आगे की जांच के लिए शासकीय जिला चिकित्सालय का रेफरल कार्ड बनाया गया। छात्र के पिता को बुलाकर आवश्यक समझाइश दी गई तथा शीघ्र विस्तृत जांच कराने की सलाह दी गई। इसके अलावा कुछ छात्र-छात्राओं में रक्त की कमी (एनीमिया) पाई गई, जिन्हें आयरन-फोलिक एसिड की गोलियां दी गईं तथा भोजन के बाद प्रतिदिन सेवन करने की सलाह दी गई।

# नशा छोड़ें, जीवन जोड़ें, गर्ल्स स्कूल में चला जागरूकता अभियान

**नवभारत/गोटेगांव।** शासन के निर्देशानुसार इंदिरा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, गोटेगांव में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थाना गोटेगांव स्ब्ब विजय द्विवेदी एवं उनकी टीम द्वारा छात्राओं को नशे के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्परिणामों की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही छात्राओं को स्वयं के साथ-साथ परिवारजनों को भी नशे से बचाव हेतु प्रेरित किया गया। द्विवेदी ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति का जीवन बर्बाद करता है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को तोड़ देता है।

# परिश्रम ने दिलाया प्रदेश स्तर पर सम्मान

**नवभारत/ तेंदूखेड़ा** शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए लगातार तीन वर्षों से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र परीक्षाओं में 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इमझिरा की प्राचार्य श्रीमती सीमा मिश्रा को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर आयोजित संदीपनी अलंकरण समारोह-2026 में प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया ।उज्जैन स्थित शासकीय माधव श्री विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने प्राचार्य श्रीमती सीमा मिश्रा को शाल श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। यह सम्मान विद्यालय की उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों एवं

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस उपलब्धि के पीछे विद्यालय के समर्पित शिक्षकों का अथक परिश्रम एवं टीम भावना रही। जिसमें विद्यालय परिवार के कर्मठ शिक्षक जयप्रकाश कोष्टी देवीसिंह पटेल हरीराम प्रजापति श्रीमती सुनीता काछी राकेश कुमार पटेल धनराज पटेल अनिल कुमार जाटव अभिलाषा गौतम मोहन बाई ठाकुर एवं अतिथि शिक्षक सहित समस्त विद्यालय परिवार ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए निरंतर मेहनत की जिसका परिणाम प्रदेश स्तर पर सम्मान के रूप में प्राप्त हुआ ।इस मौके पर विद्यालय परिवार विद्यार्थियों पालकों एवं क्षेत्रवासियों ने प्राचार्य समस्त शिक्षकों को बधाई देते हुए विद्यालय की निरंतर प्रगति की शुभकामनाएँ व्यक्त कीं।


# कार्यालय नगरपालिका परिषद् गोटेगांव जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.)

क्रमांक 492/स्वास्थ्य शाखा /2026 — गोटेगांव दिनांक 30/07/2026

## सार्वजनिक सूचना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के नियम 39 के तहत शहरी क्षेत्रों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगरीय निकायों व शहरी हों के उत्तदायित्व निर्धारित किये गये है, तथा कचरा फैलाने या नियमों के उपबंधों का अनुपालन न करने वालों के विरुध्द स्थल पर ही जुर्माना/ शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः भारत सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 , निर्माण एवं विध्वंस नियम 2025, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2025 एवं म.प्र. नगर पालिका ( जल प्रदाय एवं मल-जल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिये अपशिष्ट पदार्थ ) के अधिनियम 2020 उपनियम 02प्रदत्त शक्तियां अनुसार एवं स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता सर्वेक्षण के निर्धारित मापदण्डो को पूर्ण करने एवं नगर को स्वच्छ बनाये जाने एवं नागरिकों को जागरुक करने एवं स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निकाय को उच्च स्तर प्रदान करने हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुरुप कार्यवाही हेतु अलग अलग कृत्य के लिए अर्थदण्ड किया जाता है।

| क्र. | कृत्य का प्रकार | अधिरोपित अर्थदंड (रू.में) |
|---|---|---|
| 1. | नगरीय सीमा क्षेत्रांतर्गत समस्त शासकीय कार्यालयों द्वारा खुले में कचरा फेंकने एवं चार डस्टबीन (हरा-जैविक अपशिष्ट, नीला-सुखा अपशिष्ट, लाल-सेनेटरी अपशिष्ट, काला-विशेष देखभाल अपशिष्ट) का उपयोग न करने पर। | 500/- |
| 2. | मेडिकल, क्लीनिक, अस्पताल इत्यादि प्रतिष्ठान अपना मेडिकल वेस्ट स्वंय निष्पादन करें, ऐसा नहीं करने पर | न्यूनतम-1000/- अधिकतम-5000/- |
| 3. | घर-घर कचरा संग्रहण के समय कचरा पृथक-पृथक न करने पर। | 250/- |
| 4. | डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुल्क व्यवसायिक क्षेत्र से सालाना | 1080/- |
| 5. | डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुल्क आवासीय क्षेत्र से सालाना उपभोक्ता शुल्क। | 720/- |
| 6. | औद्योगिक इकाईयों से सालाना उपभोक्ता शुल्क। | 1440/- |
| 7. | शासकीय एवं अर्ध्यशासकीय सालाना उपभोक्ता शुल्क। | 720/- |
| 8. | प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन ( संशोधन ) नियम 2025 के अनुसार, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2016 में नियम 11 में उप नियम ( 01 ) के पश्चात् उप नियम अतः स्थापित किया जाएगा ( झ क ) कोई उत्पादक, आयातक या ब्रांड स्वामी तारीख 01 जुलाई 2025 से उप नियम ( 01 ) के अधीन निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करवाए प्लास्टिक पैकेजिंग पर बार कोड या क्विक रिस्पोंस कोड होना आवश्यक है अमानक पॉलीथीन प्लास्टिक प्रतिबंधित अधिनियम 31 दिसम्बर 2022 से 120 माईक्रोन कर दी गई है। 1 जुलाई 2022 से पोलिस्टिरीन और विस्तारीत पोलिस्टिरीन समेत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंण्डारण, क्रय, विक्रय, परिवहन और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाया जाता है तो जप्ती कर जुर्माना एवं अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित को 5 साल कारावास की कार्यवाही प्रस्तावित की जात सकती है। | न्यूनतम-1000/- अधिकतम-25000/- |
| 9. | नगरीय क्षेत्र में निर्माणाधीन एवं तोडे हुवे भवनों का अनुपयोगी मलबे के निपटान हेतु बोहरडा ट्रैचिंग ग्राउंड बुरहानपुर में प्रसंस्करण ईकाई स्थापित की गई है, इस हेतु निकाय के कर्मचारी श्री सुनील साबले, मो.नं. 9302912388 पर संपर्क कर निर्धारित शुल्क 500/- प्रति ट्रिप जमा कर सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। मकान निर्माण विध्वंस सामग्री /रोड नाली /सडक एवं सार्वजनिक स्थानों पर फेकने अथवा 48 घंटे से अधिक रखे जाने पर | 1000/- |
| 10. | नगरीय सीमा क्षेत्रांतर्गत निर्माण एवं विध्वंस कार्य को ग्रीन नेट से कवर करना अनिवार्य है ऐसा नहीं करने पर जुर्माना किया जाएगा। | 500/- |

**मुख्य नगरपालिका अधिकारी**
**नगरपालिका परिषद् गोटेगांव**